# न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

| प्रकरण संख्या | रजि० नं0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15 / 50 / 2025 | 2025 / 182 | 20.03.2025 | 04.06.2025 |

1–रोहित पुत्र अनिल कुमार जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1–ग्यासीराम पुत्र जैना,
2–राजेन्द्र पुत्र ग्यासीराम,
3–मुकेश पुत्र ग्यासीराम,
4–अनिल पुत्र ग्यासीराम,
5–सुनीता पुत्री ग्यासीराम, जाति माली निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
6–उप पंजियक कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
7–राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
8–उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

असल अप्रार्थीगण

9–मंजीत पुत्र अनिल,
10–कृष्णा पुत्री लक्ष्मीनारायण,
11–मल्ला पुत्री लक्ष्मीनारायण,
12–रेवती पत्नी लक्ष्मीनारायण,
13–राजपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण,
14–सन्तोष पुत्री लक्ष्मीनारायण,
15–सावत्री पुत्री लक्ष्मीनारायण,
16–मामचन्द पुत्र जैना जातियान माली निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
17–सरला देवी पत्नी राककिशन जाति अहीर निवासी खेडकी दोला तहसील मानेसर जिला गुडगांवा हरियाणा,
18–कालीचरण पुत्र शिवदयाल,
19–किरोडी पुत्र शिवदयाल,
20–गीता पुत्री शिवदयाल,
21–पुरूषोतम पुत्र शिवदयाल,
22–मंगलराम पुत्र शिवदयाल,
23–हरिनारायण पुत्र शिवदयाल,
24–सीता पुत्री शिवदयाल जाति महाजन निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
25–नन्दकिशोर पुत्र कुन्जीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
26–प्रिन्स उदयभान पुत्र हवा सिंह जाति जाट निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

तरतीबी अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र मुन्तकिल**

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

**उपस्थितः–**

01. श्री संजय याद —वकील प्रार्थी

02. श्री रामफल यादव —वकील अप्रार्थी—25

**—:: निर्णय ::—**

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 117 / 2024 रोहित बनाम ग्यासीराम वगै0 को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया है, कि तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में बअनुवानी पत्रावली संख्या 117 / 2024 रोहित बनाम ग्यासीराम वगै0 विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई की विगत तारीख पेशी दिनाक 11.03.2025 वास्ते प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नियत थी। उनवानी प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी / असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की सुविधानुसार उनके व वकील के कहे अनुसार तारीख पेशी नियत की जाती है, तथा मिन प्रार्थी / वादी के वकील के निवेदन किये जाने पर उनके कहे अनुसार तारीख पेशी नियत नही की जाती है, तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा मिन प्रार्थी / वादी के वकील पर जल्द से जल्द बहस करने का दबाव दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा वकील प्रार्थी / वादी की बहस सुने बिना ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने पर उतारू है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण में छोटी– छोटी तारीख पेशीयॉ नियत की जा रही है, और सारे कायदे कानून ताक पर रखकर जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू है। तथा असल अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा आलन–फालन में उनवानी प्रकरण में कार्यवाही कराना चाहते है। असल अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाया हुआ है, तथा पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के दबाव व प्रभाव में है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते असल अप्रार्थी / प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 देखा गया है। ऐसी सूरत में तहत अदालत से न्याय की कोई उम्मीद नही है। न्यायहित में उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से किसी दिगर राजस्व न्यायालय को **मुन्तकिल** किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 26 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 117 / 2024 रोहित बनाम ग्यासीराम वगै0 मिन अप्रार्थी / प्रतिवादी व अप्रार्थी / प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खसरा न0 633, 636, 609,628,614,616,618,606 में हिस्सा 1 / 3 ग्यासीराम पुत्र जैना का था जर्ये बयनामा खरीद किया गया है। वक्त खरीद से काबिज काश्त है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में बअनुवानी पत्रावली संख्या 117 / 2024 रोहित बनाम ग्यासीराम वगै0 विचाराधीन है, जिसमें मिन अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 25 पर पक्षकार मुकदमा है, किन्तु न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किये गये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में जानबुझ कर पक्षकार ही नही बनाया गया है, जबकि अप्रार्थी आवश्यक पक्षकार है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा उनवानी प्रकरण में विधिवत निस्तारण किये जाने हेतु छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही है। प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आक्षेप लगाकर यह झूठा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज / वकील अप्राथी संख्या 26 की बहस से जाहिर है, कि तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 117 / 2024 रोहित बनाम ग्यासीराम वगै0 विचाराधीन है। विचाराधीन राजस्व प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

दर्ज कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नही किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)